न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर ए एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 258 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 20.12.2018

श्रीमती भंवरीदेवी पत्नि रमेश चन्द जाति गायरी निवासी मोवाई तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

-अपीलांट

विरूद्ध

1. पवन कुमार पिता बालुराम जाति ब्राह्मण निवासी मोवाई तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. तहसीलदार अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
प्रकरण संख्या 39/2016 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.06.2017

उपस्थित– 1. यशवन्तपुरी गोस्वामी –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रमेश चन्द शर्मा–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2

निर्णय **दिनांक 30.05.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मोवाई तहसील अरनोद की आराजी नम्बर 791,792,793 कुल किता 3 कुल रकबा 0.10 हैक्टयेर वादी रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त होने एवं उसका कुंआ निर्मित होने व धार्मिक स्थान होने पर व मौके पर वृक्ष खडे होने व सन् 1978 से पूर्व पीढी दर पीढी 12 वर्षो से अधिक कब्जा काश्त होने से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। व अपीलान्ट प्रतिवादिया को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादिया को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट प्रतिवादिया नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई व जवाब का अवसर चाहा। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.03.2017 को अपीलान्ट प्रतिवादिया का जवाबदावा बन्द किया जाकर दिनांक 05.04.2017 को प्रकरण मे अपीलान्ट प्रतिवादिया उपस्थित नही रहने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य

को रेस्पोडेन्ट नियत की गई व प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट वादी के बयान लिये जाकर दिनांक 15.06.2017 को रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अंसतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की व अपील मे यह तथ्य अंकित किये गये कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी ने गलत तथ्यो के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट प्रतिवादिया ने वादग्रस्त आराजीयात पंजीकृत बहनामे से देऊबाई कैलाशी बाई शैतानी बाई मंजु कविता के पिता हीरा से क्रय की थी जिसका नामान्तकरण सं. 602 दिनांक 05.06.07 से अपीलान्ट प्रतिवादिया के नाम दर्ज हुई। कृषि आराजीयात क्रय करने के समय से खरीदशुदा कृषि आराजीयात पर अपीलान्ट प्रतिवादिया का कब्जा चला आ रहा है। विवादित कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट वादी व उसके पूर्वजो का कभी कब्जा नही रहा है। वादपत्र मे गलत व झूठे तथ्य अंकित कर वादपत्र आराजी नम्बर 791 रकबा 0.02 हैक्टेयर 792 रकबा 0.03 हैक्टेयर मे से 0.02 हैक्टेयर कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर की घोषणा अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा की गई। विवादित कृषि आराजीयात हीरालाल आंजना की आंवटनशुदा थी। व हीरालाल के वारिसान से क्रय की गई है। पंजीकृत बहनामे को निरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही था। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई। जिसके लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.10.2018 को हुई उसी दिन अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय से दिनांक 18.10.2018 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। तत्पश्चात् विधिसलाहकार से राय प्राप्त कर अपील अपीलान्ट वाद जानकारी अन्दर पेश की।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत अर्पील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को बहस मे दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादिया को सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णय व डिक्री पारित की। यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उक्त कृषि आराजीयात पंजीकृत बहनामे से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। विवादित आराजीयात हीरालाल आंजना के आंवटनशुदा थी। व अपीलान्ट ने उक्त पंजीकृत बहनामे से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति मे पंजीकृत बहनामे को निरस्त कराये बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार योग्य नही था। फिर भी अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि मौजा मोवाई की आराजी नम्बर 791,792,793 कुल किता 3 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट वादी के कब्जे काश्त मे है। उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट वादी के दादा उम्मेदराम के द्वारा कुंए का निर्माण करा उक्त कुंए से उम्मेदराम द्वारा अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 790 की सिंचाई करते चले आ रहे है। वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट वादी उक्त कुंए का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। फिर भी उक्त कृषि आराजीयात बिना कब्जे के हीरालाल आंजना को आंवटित कर दी गई। हीरालाल की मृत्यु के बाद हीरालाल के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई। हीरालाल के वारिसान से बिना कब्जे के उक्त आराजीयात अपीलान्ट प्रतिवादिया ने क्रय कर अपने नाम दर्ज करवा ली है। जो वर्तमान मे अपीलान्ट प्रतिवादिया के नाम दर्ज रेकार्ड हो जाने से अपीलान्ट प्रतिवादिया व रेस्पोडेन्ट वादी के मध्य कब्जे को लेकर विवाद हुआ जिस पर दिनांक 19.12.2015 को आपसी समझौता हुआ व यह तय हुआ कि उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट प्रतिवादिया के नाम दर्ज रेकार्ड होने से भविष्य मे कोई कभी लडाई-झगडा नही करेगा। भंवरी देवी के नाम खरीदशुदा आराजी कुंआ है उसका विवाद होने से रेस्पोडेन्ट वादी के नाम कृषि भूमि करा देगे। इस आशय का राजीनामा दिनांक 19.12.2015 को अपीलान्ट के पति रमेशचन्द अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट वादी के मध्य हुआ जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। नकल जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी स्लीप व उक्त आराजीयात पर राजस्थान राज्य विघुत वितरण निगम के द्वारा विघुत कनेक्शन रेस्पोडेन्ट वादी के दादा उम्मेदराम के नाम जारी कर रखा है जिसके बिल जो रेस्पोडेन्ट वादी के दादा उम्मेदराम के नाम जारी किये गये। उक्त सभी दस्तावेज रेस्पोडेन्ट वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये व स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेजो को प्रदर्शित कराया गया है। अपीलान्ट प्रतिवादिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादिया ने जवाब प्रस्तुत नही किया है न ही जिरह की गई है। अपीलान्ट प्रतिवादिया को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही रहते हुए गलत तथ्यो के आधार पर राजीनामे के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को न्यायोचित होना मानते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी की अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पत्रावली मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्ट प्रतिवादिया के विरुद्ध घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादिया को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट प्रतिवादिया जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई। जवाबदावा हेतु अवसर चाहा। जिस पर

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा जवाबदावा हेतु अपीलान्ट प्रतिवादिया को कई अवसर प्रदान किये गये। उसके पश्चात् भी अपीलान्ट प्रतिवादिया के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किये जाने से जवाबदावा बन्द कर अपीलान्ट प्रतिवादिया के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 05.04.2017 को की गई। व पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। जिसमे रेस्पोडेन्ट वादी की साक्ष्य शपथ पत्र पर ली जाकर व पत्रावली मे आपसी राजीनामा होने से रेस्पोडेन्ट वादी के दादा द्वारा कुंआ खोदा हुआ होने व कुंए का उपयोग उपभोग रेस्पोडेन्ट वादी अपनी आराजी नम्बर 790 पर सिंचाई कर किया जाना प्रमाणित होने से रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आराजी नम्बर 791 रकबा 0.02 हैक्टेयर आराजी नम्बर 792 रकबा 0.03 हैक्टेयर मे से 0.02 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर का वादपत्र स्वीकार किया गया है। व शेष आराजीयात अपीलान्ट प्रतिवादिया के खातेदारी मे यथावत रखी गई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आंशिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 को पारित की गई है जो न्यायोचित होने से अपीलान्ट प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत अपील संहवनीय नही है।

फलस्वरुप अपील अपीलान्ट प्रतिवादिया अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी अरनोद प्रकरण संख्या 39/2016 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 यथावत रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ